न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 08/2021 GCMS No.–2021/38

प्रभूनारायण पुत्र स्व श्री बीज्या कुम्हार उम्र 80वर्ष निवासी ग्राम कानोता तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. भगवान सहाय सैन पुत्र श्री जगदीश नारायण सैन उम्र 49 वर्ष जाति नाई वोटो का मोहल्ला, ग्राम कनोता तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत कानोता पं.स. बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक कार्यालय बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा कमांक 97 सरपंच ग्राम पंचायत कानोता पं.स. बस्सी, जिला जयपुर दिनांक 25.09.2019

उपस्थितः–

1. श्री राकेश पारीक अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री आशीष गौतम अधिवक्ता गैरनिगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 31.08.2022

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत कानोता, पंचायत समिति, बस्सी के निर्णय/आदेश दिनांक 25.09.2019 जिससे ग्राम पंचायत कानोता द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 भगवानसहाय सैन पुत्र श्री जगदीश नारायण सैन निवासी बोटो का मोहल्ला, ग्राम कानोता, तहसील बस्सी के पक्ष में पट्टा संख्या 97 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 05.04.2021 को न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या– एक की ओर से श्री अशीष गौतम अधिवक्ता उपस्थित आये एवं अप्रार्थी संख्या–2 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल तलब की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के पत्रांक 29 दिनांक 27.04.2022 से मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त हुई जो कि शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

योग्य अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकार ग्राम कानोता तहसील बस्सी का स्थाई निवासी है एवं पीढीयो से आबाद है जिनके पुश्तैनी मकान ग्राम कानोता में पक्के मकानात व बाडा ग्राम की आबादी भूमि में बने हुये है। सरपंच ग्राम पंचायत कानोता द्वारा द्वारा आबादी खसरा नंबर 344 में से बिना

किसी विधिक अधिकार के एवं बिना वास्तविक कब्जे की जांच के अप्रार्थी संख्या 1 को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से गलत तथ्यो के आधार पर पट्टा संख्या 97 दिनांक 25.09.2019 को जारी कर दिया। ग्राम पंचायत ने जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया है वह भूमि खेल कूद की भूमि रही है जिस पर ग्राम वासियो के बच्चे खेल कूद के रूप में वर्षो से काम में लेते आ रहे है। जिसका उपयोग उपभोग अप्रार्थी ने नहीं किया, ना ही अप्रार्थी का कब्जा है। ग्राम पंचायत द्वारा कोई आवेदन पट्टा प्राप्त करने हेतु नही दिया गया तथा न ही पट्टे बाबत पंचो की कमेटी बनाकर मौका निरीक्षण किया गया न ही आपत्ति नोटिस जारी किया गया है। पट्टा जारी करने बाबत कार्यवाही रजिस्टर में विधिवत रूप से अमल में नहीं लाई गई है। ग्राम पंचायत कानोता द्वारा जारी पट्टे में राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157(1) का अनुचित लाभ प्रदान कर प्रश्नाधीन पट्टा जारी किया है जो विरूद्ध कानून होने के निरस्तनीय है। निगरानीकार द्वारा निगरानीधीन पट्टे के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति को ग्राम पंचायत द्वारा नहीं सुना गया। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 07.12.2001 द्वारा इसी भूमि के संबंध में पट्टा संख्या 13 जारी दिनांक 07.11.1983 को खाजिर किया गया। ग्राम पंचायत कानोता द्वारा पंचायत राज नियम 147, 148 की पालना नहीं की गयी। अप्रार्थी को जिस भूखण्ड का पट्टा दिया गया है उस पर अप्रार्थी संख्या 1 का न तो मकान है एवं न ही कब्जा है। इसलिए नियम 157(2) के तहत अप्रार्थी को जारी निःशुल्क पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कानोता पंचायत समिति बस्सी द्वारा आबादी भूमि का विलेख पट्टा संख्या 97 आदेश दिनांक 25.09.2019 को खारिज किया जावे।

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या एक द्वारा दौराने बहस लिखित बहस को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत कानोता द्वारा जारी किया गया पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है। विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने पूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट तीन वार्ड पंच महोदय से मंगवाकर निरीक्षण कर व सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के बाद ही जारी किया है। गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा उनके पुश्तैनी मकान का आवासीय पट्टा लेने हेतु आवेदन किया गया। उक्त आवेदन पत्र तत्कालीन सरपंच महोदय ने कोरम के समक्ष उक्त प्रस्ताव को रखा गया तथा सर्वसहमति से मौके की रिपोर्ट मंगवाने हेतु निर्णय लिया गया निर्णय में तीन पंचो को मौके रिपोर्ट लेने हेतु लिखित नोटिस दिया गया जिसकी रिपोर्ट तीन पंचों महोदय द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाई गई

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

जिसे दिनांक 05.06.2017 को कोरम मीटिंग के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत ने निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी के निस्तारण के पश्चात दिनांक 25.09.2019 को सर्वसहमति से गैर निगरानकार संख्या 1 के हक में 200/– रूपये जमा कर पट्टा संख्या 97 जारी किया है। उक्त विवादित पट्टे की सम्पत्ति पर गैर निगरानीकार संख्या 1 ही काबिज चले आ रहे है। ग्राम पंचायत द्वारा खसरा नंबर 344 में निगरानीकार को भी पट्टा जारी किया गया है। वकील निगरानीकार द्वारा जिस खारिज हुये पट्टे के संबंध में कथन किया गया है, वो दूसरी भूमि का पट्टा है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकार संख्या 1 की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत कानोता द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के पट्टा लेने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 19.04.2017 पर आगे कार्यवाही करते हुए सचिव को नक्शा तैयार करने हेतु एवं वार्ड पंचगण की कमेटी को मौका निरीक्षण हेतु आदेशित किया, सचिव द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित भूमि का नक्शा तैयार किया गया एवं दिनांक 05.06.2017 को तीन वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। निरीक्षण रिपोर्ट पर तीनों वार्ड पंचो के हस्ताक्षर है। तद्नुसार ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के विक्रय के संबंध में आपत्तिया मांगने का सूचना पत्र जारी किया। निर्धारित अवधि में निगरानीकार द्वारा आपत्ति पेश की गयी, जिसमें निगरानीकार द्वारा पक्षकारान के मध्य दीवानी न्यायालय में वाद विचाराधीन होने एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा गली के पट्टा प्राप्त किया जा रहा है की टिप्पणी अंकित की है। तत्पश्चात दिनांक 25.09.2019 को ग्राम पंचायत कानोता की कोरम द्वारा निगरानीकार की आपत्ति केवल दुर्भावना से प्रेरित एवं आवेदित स्थल से गली छोडकर तथा भिन्न स्थान से संबंधित होने के कारण सर्वसम्मति से निगरानीकार की आपत्ति खारिज की गयी एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में निगरानीधीन पट्टा जारी किये जाने का निर्णय लिया। जिसके आधार पर गैर निगरानीकार को संकल्प संख्या 10 दिनांक 25.09.2019 की अनुपालना में पट्टा संख्या 97 जारी किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

निगरानी मीमो में अंकित किया है कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि खेल मैदान की भूमि है जबकि ग्राम पंचायत के समक्ष निगरानीकार द्वारा पेश की गयी आपत्ति में गली का पट्टा गैर निगरानीकार को दिया जाना अंकित किया है जो परस्पर विरोधाभासी है। प्रकरण में वकील निगरानीकर्ता द्वारा कथन किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकार की आपत्ति को नहीं सुना गया जबकि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर नियमानुसार निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण किया जाकर निगरानीधीन पट्टा जारी किया है। अतएव निगरानीकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्य उचित प्रतीत नहीं होते है। विचाराधीन निगरानी में गैर निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष अपने पुख्ता मकान का पट्टा लेने हेतु आवेदन किया है, वार्ड पंचगण की मौका रिपोर्ट में भी गैर निगरानीकार के पुख्ता मकान पर 50 वर्षो से कब्जा माना है, इसी आधार पर पंचायती राज 1996 के नियम 157 (पुराने गृहो के विनियमितिकरण) के आधार पर गैर निगरानीकार को पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत कानोता द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व नियमानुसार पत्रावली बनाई जाकर पंचायत राज अधिनियम 1994 में निहित विधिक प्रकिया अपनाते हुए एवं पचायती राज अधिनियम में निहित नियमों की पालना करते हुए निगरानीधीन पट्टा जारी किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर